अनुदान संख्या 27 – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
GRANT No. 27 - MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	4002,69,00	4374,78,00	4242,15,43	-132,62,57
पूरक	Supplementary	372,09,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				82,47,38
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*67,00*	*67,00*	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	40,03,00	40,04,00	34,86,35	-5,17,65
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4,63,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹13262.57 लाख) जुलाई, 2017, दिसम्बर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹37209.00 लाख के पूरक अनुदान का 36 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹13262.57 lakhs) constituted 36 percent of the supplementary grants of ₹37209.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	8359.00	9129.20	8935.70	-193.50
पु.	R.	770.20			
मुख्य शीर्ष "2406"	Major Head "2406"				
वानिकी तथा वन्य जीव	Forestry and Wild Life				
मू.	O.	44948.00			
पू.	S.	37203.00	110503.35	109997.29	-506.06
पु.	R.	28352.35			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	13175.00	..	..	..
पु.	R.	-13175.00			
मुख्य शीर्ष "2810"	Major Head "2810"				
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	New and Renewable Energy		111130.00	108545.17	-2584.83
मुख्य शीर्ष "3435"	Major Head "3435"				
पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	Ecology and Environment				
मू.	O.	138792.00			
पू.	S.	3.00	104246.97	102616.98	-1629.99
पु.	R.	-34548.03			

-

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"					
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	83735.00				
पू.	S.	2.00		94123.10	94023.58	-99.52
पु.	R.	10386.10				

(I) ₹13175.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत सात मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहाः–

(I) Provision of ₹13175.00 lakhs remained wholly unutilised in seven cases under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास – राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम – राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" – ₹3500.00 लाख;

(A) "Afforestation and Ecology Development - National Afforestation and Ecology Development Programme - National Mission for a Green India"- ₹3500.00 lakhs;

(खा) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव – वन्य जीव परिरक्षण" – "वन्य जीवों के आवासों का एकीकृत विकास" – ₹5200.00 लाख

(B) "Environmental Forestry and Wild Life- Wild Life Preservation - Integrated Development of Wild Life Habitats"- ₹5200.00 lakhs;

(गा) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन – संरक्षण कार्यक्रम – प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थतिकी प्रणालियों का संरक्षण" – ₹475.00 लाख;

(C) "Environmental Research and Ecological Regeneration - Conservation Programmes - Conservation of Natural Resources and Ecosystem"- ₹475.00 lakhs;

(घा) "वानिकी – शिक्षा और प्रशिक्षण – पर्यावरणीय ज्ञान तथा क्षमता निर्माण" – ₹700.00 लाख ।

(D) "Forestry - Education and Training - Environmental Knowledge and Capacity Building" - ₹700.00 lakhs;

(ङ) "प्रदूषण निवारण और नियंत्रण – राष्ट्रीय नदियों का प्रदूषण निवारण – राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम" – ₹1700.00 लाख;

(E) "Prevention and Control of Pollution - Prevention of Pollution of National Rivers - National River Conservation Programme" - ₹1700.00 lakhs;

(चा) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थिकीय पुनरुद्भवन – जलवायु परिवर्तन कार्रवाई कार्यक्रम – पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन तथा सतत विकास" – ₹1200.00 लाख; और

(F) "Environmental Research and Ecological Regeneration - Climate Change Action Programme - Environment Protection, Management and Sustainable Development" - ₹1200.00 lakhs; and

(छा) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुरुद्भवन – पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय – पर्यावरणीय जागरुकता नीति के लिए निर्णय सहायता प्रणाली, योजना तथा निष्कर्ष मूल्यांकन" – ₹400.00 लाख।

(G) "Environmental Research and Ecological Regeneration-Environmental Planning and Coordination - Decision Support System for Environmental Awareness, Policy, Planning and Outcome Evaluation" - ₹400.00 lakhs.

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above seven heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2406" के अंतर्गत "वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास – राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम – राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" के अंतर्गत – ₹130.12 लाख की बचत (₹250.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम बैठके/कार्यशालाएं किए जाने तथा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2406" - "Afforestation and Ecology Development - National Afforestation and Ecology Development Programme - National Mission for a Green India" - saving of ₹130.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs) was due to conduction of less meetings/workshops and less tours undertaken.

(III) मुख्य शीर्ष "2810" – "आरक्षित निधि को अंतरण – राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि को अंतरण" – के अंतर्गत ₹2584.83 लाख की बचत (₹111130.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने की वजह से आरक्षित निधि को कम अंतरण किए जाने और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कार्यकलापों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2810" - "Transfer to Reserve Fund - Transfer to National Clean Energy Fund" - saving of ₹2584.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹111130.00 lakhs) was due to less transfer to Reserve Fund owing to non-receipt of viable proposals and non-finalisation of activities under various schemes.

(IV) मुख्य शीर्ष "3435" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IV) Under Major Head "3435" - savings occurred under the following heads:-

(का) "सर्वेक्षण (वनस्पति) – निदेशन एवं प्रशासन : सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय" – ₹652.86 लाख की बचत (₹17090.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम चिकित्सा दावों के प्राप्त होने, कम कार्यालय उपकरणों की अधिप्राप्ति, कार्यशालएं/प्रशिक्षण

(A) "Survey (Botanical) - Direction and Administration - Attached/Subordinate Offices" - saving of ₹652.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17090.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims,

आयोजित न किए जाने, कम दौरे किए जाने तथा कम प्रदर्शनी कार्यकलापों के कारण हुई।

(खा) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन" –

(क) "संरक्षण कार्यक्रम – राष्ट्रीय संसाधनों और पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण" – ₹499.53 लाख की बचत (₹561.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दौरे कम आयोजित किए जाने, बैठकों का आयोजन न होने, बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने, जैव विविधता संरक्षण तथा ग्रामीण जीविका सुधार परियोजना के लिए कम प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय – पर्यावरणीय जागरुकता, नीति, आयोजना और परिणाम मूल्यांकन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली" – ₹2816.89 लाख की बचत (₹13571.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुनर्निमित स्कीमों के अनुमोदन में विलंब होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा "दिल्ली के लिए स्वच्छ हवा" अभियान के अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

(गा) "प्रदूषण निवारण और नियंत्रण" –

(क) "राष्ट्रीय नदियों का प्रदूषण निवारण – राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम" – ₹191.03 लाख की बचत (₹350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना प्रबंधन परामर्शदात्री सेवा/मूला मुथा परियोजनाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ख) "वायु और जल प्रदूषण निवारण – जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण" – ₹7517.62 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जल उपकर को जोड़े जाने के कारण

procurement of less office equipments, non-conduction of workshops/training,less tours undertaken and less exhibition activities.

(B) "Environmental Research and Ecological Regeneration"-

(a) "Conservation Programmes - Conservation of National Resources and Ecosystems"- saving of ₹499.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹561.00 lakhs) was due to less tours undertaken, non-conduction of meetings, receipt of less proposals from Union Territories without legislature, receipt of less reimbursement claims towards Biodiversity Conservation and Rural Livelihood Improvement Project.

(b) "Environmental Planning and Coordination - Decision Support System for Environmental awareness, policy, planning and outcome evaluation" - saving of ₹2816.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13571.00 lakhs) was due to delayed approval of revamped schemes and delay in approval of "Clean Air for Delhi" campaign by the Ministry of Finance.

(C) "Prevention and Control of Pollution" -

(a) "Prevention of Pollution of National Rivers - National River Conservation Programme" - saving of ₹191.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹350.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards project management consultancy service/ Mula Mutha Projects.

(b) "Prevention of air and water Pollution - Prevention and Control of Water Pollution"- saving of ₹7517.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs)

वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राकलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ग) "प्रभाव निर्धारण – राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम" – ₹29448.00 लाख की बचत (₹44698.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) "एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम" चरण–I के स्थगन के कारण कम निधियों की आवश्यकता की वजह से हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें" – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईः–

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा – प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिकी का संरक्षण" – ₹350.15 लाख की बचत (₹8105.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिकी का संरक्षण" – ₹322.00 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1651.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना बंद किए जाने के कारण कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹32311.77 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹37207.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

(का) मुख्य शीर्ष "2406" –

(क) "वानिकी" –

(I) "शिक्षा तथा प्रशिक्षण – पर्यावरणीय ज्ञान तथा क्षमता निर्माण" – ₹8929.00 लाख।

was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to subsuming of water cess.

(c) "Impact Assessment - National Coastal Management Programme" - saving of ₹29448.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44698.00 lakhs) was due to requirement of less funds owing to postponement of "Integrated Coastal Zone Management Programme" Phase-I.

(V) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share - Conservation of Natural Resources and Ecosystems" - saving of ₹350.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8105.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State Governments/implementing agencies.

(B) "Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - Conservation of Natural Resources and Ecosystems" - saving of ₹322.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1651.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to receipt of less claims owing to closure of project.

2. (I) The above savings were partly (₹32311.77 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹37207.00 lakhs - under the following major heads:-

(A) Major Head "2406" -

(a) "Forestry"-

(i) "Education and Training - Environmental Knowledge and

तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹8915.94 लाख था।

(ii) "अनुसंधान – स्वायत्त निकायों को सहायता" – ₹3310.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3210.53 लाख था।

(iii) "वन संरक्षण, विकास तथा पुनरुद्भवन – निजी क्षेत्र के उपक्रम को सहायता" – ₹12572.00 लाख।

(ख) "पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्यजीव – वन्यजीव संरक्षण" –

(i) "वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास" – ₹882.20 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹727.89 लाख था।

(ii) "सांविधिक तथा नियामक निकाय" – ₹610.00 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "3435" –

(क) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थिकीय पुनरुद्भवन – जलवायु परिवर्तन कार्रवाई कार्यक्रम – पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन तथा सतत विकास" – ₹506.23 लाख। तथापि, अधिक व्यय ₹346.44 लाख।

(ख) "प्रदूषण निवारण और नियंत्रण – वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण – सांविधिक तथा नियामक निकाय" – ₹4503.34 लाख। तथापि, अधिक व्यय ₹4502.47 लाख।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें – बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों

Capacity Building" - ₹8929.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹8915.94 lakhs.

(ii) "Research - Assistance to Autonomous Bodies" - ₹3310.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3210.53 lakhs.

(iii) "Forest Conservation, Development and Regeneration - Support to Public Sector Undertaking" - ₹12572.00 lakhs.

(b) "Environmental Forestry and Wildlife - Wild Life Preservation"-

(i) "Integrated Development of Wild life Habitats" - ₹882.20 lakhs. Actual excess, however, was ₹727.89 lakhs.

(ii) "Statutory and Regulatory Bodies" - ₹610.00 lakhs.

(B) Major Head "3435" -

(a) "Environmental Research and Ecological Regeneration - Climate Change Action Programme - Environment Protection, Management and Sustainable Development" - ₹506.23 lakhs. Actual excess, however, was ₹346.44 lakhs.

(b) "Prevention and Control of Pollution - Prevention of air and water pollution - Statutory and Regulatory Bodies" - ₹4503.34 lakhs. Actual excess, however, was ₹4502.47 lakhs.

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - Integrated

के लिए अनुदान – वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास" – ₹999.00 लाख। तथापि, अधिक व्यय ₹942.88 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं थीं:–

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" – ₹576.70 लाख का अधिक व्यय (₹8359.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतनों, वाहनों को किराए पर लेने, स्टॉफ कार सर्विस और मरम्मत तथा संविदागत और हाउसकीपिंग स्टॉफ के पारिश्रमिक के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2406" – "वानिकी – निदेशन और प्रशासन – संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय" – ₹1940.05 लाख का अधिक व्यय (₹15104.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रोबेशनर्स के वेतन, वन की माल सूची, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली के भवनों और रिक्त भूमि पर सेवा प्रभार, संविदागत स्टॉफ को भाड़े पर लिए जाने कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(i) – "राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" – ₹4125.15 लाख का अधिक व्यय (₹9830.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों के इस्तेमाल के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष – "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को करने के कारण हुआ।

(ii) "वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास" – ₹4133.86 लाख का अधिक व्यय (₹44525.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

Development of Wildlife Habitats" - ₹999.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹942.88 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Environment, Forests and Climate Change"- excess of ₹576.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8359.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, hiring of vehicles, staff car service and repairs and remuneration of contractual and housekeeping staff.

(B) Major Head "2406"- "Forestry - Direction and Administration - Attached/Subordinate Offices" - excess of ₹1940.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15104.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries of probationers, inventory of forest, service charges on buildings and vacant lands of National Zoological Park, New Delhi, hiring of contractual staff and tours.

(C) Major Head "3601"- "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/Share" -

(i) "National Mission for a Green India" - excess of ₹4125.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9830.00 lakhs) was due to receipt of more proposals from the State Governments and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "Integrated Development of Wildlife Habitats" - excess of ₹4133.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44525.00 lakhs); and

(iii) "राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम" – ₹1700.00 लाख का अधिक व्यय (₹12300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(iii) "National River Conservation Programme"- excess of ₹1700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12300.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों के इस्तेमाल के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष – "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को करने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ख) "बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम" – ₹175.00 लाख का अधिक व्यय (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुणे के मूला–मुथा में नदियों का प्रदूषण कम करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(b) "Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - National River Conservation Programme"- excess of ₹175.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards pollution abatement of rivers Mula-Mutha at Pune.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

3. In the voted portion of the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4406" वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4406" Capital Outlay on Forestry and Wild Life				
मू.	O.	1333.00	868.00	838.36	-29.64
पु.	R.	-465.00			

(I) "वानिकी – संचार और भवन – संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय" के अंतर्गत ₹494.64 लाख की बचत (₹1333.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आशोधन तथा पुनः आयोजना के कारण कम प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Forestry - Communication and Buildings -Attached/Subordinate Offices"- saving of ₹494.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1333.00 lakhs) was due to sanction of less proposals owing to modification and re-planning.